न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 152 / 2011

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र सायर सिंह जाति राजपूत निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते

अपीलांट

Web Copy - Not Official

बनाम

1 भगवाना राम पुत्र नाथुराम।
1/1 श्रीमती चम्पा देवी पत्नी भगवाना राम।
1/2 सुमन उर्फ मन्जु पुत्री भगवाना राम।
1/3 राजू देवी पुत्री भगवाना राम।
1/4 मनोज कुमार पुत्र भगवाना राम समस्त जाति मीणा निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2 सुमेर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह।
3 सुमेर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह।
4 जीवराज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपुत निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 भगवान सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी तोगड़ा स्परूपसिंह की ढ़ाणी तहसील व जिला झुंझुनू।
6 सुरजाराम पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासी मझाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 श्यामसुन्दर पुत्र बसन्तलाल जाति खण्डेलवाल निवासी गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 सिलोचना देवी पत्नी जयन्तीलाल जाति महाजन निवासी चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 प्रभातराम पुत्र नारायण राम निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 अशोक कुमार पुत्र चिरजीलाल ।
12 विरेन्द्र कुमार पुत्र चिरजीलाल।
13 मीकान्त पुत्र नरेश कुमार।
14 श्रीकान्त पुत्र नरेश कुमार।
15 चन्द्रकान्त पुत्र नरेश कुमार।
16 उर्मिला पत्नी सुरेश कुमार समस्त जाति महाजन निवासी गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 शिलादेवी पत्नी कमल कुमार जाति जाट निवासी कोलसिया हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

18 निर्मला देवी पत्नी मनीराम निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
19 सुमिता देवी पत्नी नरेश कुमार बागडवा जाति जाट निवासी गढ़लाकंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
20 सुप्यार देवी पत्नी सुमेर सिंह महला जाति जाट निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
21 प्रेमकंवर पत्नी सायरसिंह जाति राजपूत निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 28.11.2011 उनवानी मुकदमा भगवानाराम बनाम सुमेरसिंह आदि मुकदमा नम्बर गत 157/06 नये 191/08 को अपास्त करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मयंक गर्ग अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री योगेन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट
5. श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट
6. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
7. मदन सिंह गिल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—25.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड उदयपुरवाटी द्वारा वाद संख्या 191/08 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

इस प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/प्री.ए./2018/7483/झुंझुनू में दिनांक 24.10.2018 को आदेश पारित कर प्रकरण में अपील का निस्तारण 25.10.2018 को हर सूरत में उभयपक्षों को सुनकर नियमानुसार करने के आदेश दिये है। माननीय राजस्व मण्डल के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आदेश की अनुपालना में आज दिनांक 25.10.2018 को प्रकरण में उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं आज ही प्रकरण निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी भगवाना ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्व ग्राम टोडी की सरहद में स्थिति में स्थित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 1.28 हैक्टेयर मेय रकबा 0.24 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्व बावजुद तामील सूचना उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों को ही बहस मानने का निवेदन किया विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में स्वयं की तामील पर्याप्त नही होने एंव विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत नही बताते हुये अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 9 अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में 12.10.2011 को एकतरफा कार्यवाही की गई है। इसको सेट असाईड करवाने के लिए अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के तहत चाराजोही नही की है अत अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नही उठा सकते है। रेस्पोडेंट वादी सदभावी विक्रेता है विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र एवं पटवारी हल्का जुडिया की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

शेष प्रतिवादीगण ने सहमती दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम टोडी के विवादित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 1.28 हैक्टेयर में से वादी द्वारा विवादित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 595 थे जिसमें से वादी रकबा 0.24 हैक्टेयर अंकेही 5000/— रूपये के बदले में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिनांक 30.05.1984 को जरिये इकसरनामा क्रेता श्री भगवानाराम पुत्र नाथुराम मीणा निवासी ग्राम बामलास ने क्रय कर चुकती धनराशि जरिये बैंक एक मुश्त विक्रेता को अदा कर मौके पर उसी रोज कब्जा प्राप्त कर लिया था। फ्रेगमेन्ट होने के कारण जाप्ते में विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया। वादी दिनांक 30.05.1984 से विवादित भूमि का रकबा 0.24 हैक्टेयर पर काबिज है तथा खातेदार काश्तकार है। अपनी भूमि के चारों और पुखता पक्की दीवार बना रखी है तथा पुख्ता मकानात बने हुए है, अपने कब्जा काश्त भूमि में ट्यूबवैल का निर्माण करवाकर विधुत सम्बन्ध स्थापित कर रखा है तथा वादी ने अपनी खातेदारी भूमि में फल आदि वृक्ष भी लगा रखे है। उक्त भूमि का रजिस्टर्डड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.1993 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के पक्ष में तहरीर व तकमील करवा दिया था। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि के रकबा 0.24 हैक्टेयर पर शांति पूर्वक काबिज है तथा काश्तकार है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम टोडी राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 916 नया के खसरा नम्बर 613 रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रस्तुत भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विक्रय करने के पश्चात वाद पत्र में अंकित प्रतिवादियां संख्या 7 को 296 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 10 को 504 वर्गमीटर प्रतिवादी भगवान सिंह को 1100 वर्गमीटर प्रतिवादी सुरजाराम को 600 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 11,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केम्प झुन्झुनूँ)

12 को 500 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 13 से 16 को 1100 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 17 को 502 वर्गमीटर प्रतिवादिया संख्या 18 व 19 को 67 वर्गमीटर एवं प्रतिवादी संख्या 20 को 168 वर्गमीटर विक्रय की जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1,2,8 व 9 अपीलांक व शेष रेस्पोडेंट का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि को वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के पूर्वज सायरसिंह की सहमती से विक्रय की थी तथा विक्रय पत्र के अनुसार वादी का मौके पर कब्जा है, परन्तु सहबन से राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम नामान्तकरण दर्ज होने से रह गया इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम व उनके कब्जा काश्त भूमि का अंकन नही हुआ, जो नियमानुसार होना चाहिए था। इस प्रकार गलत राजस्व रिकार्ड कायम होने से वादी के हक अधिकारों का हनन होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अनुसार वादी द्वारा 0.24 हैक्टेयर भूमि क्रय किया जाना साबित है, तथा इसी अनुरूप मौके पर काबिज है। उक्त विवेचन से साबित है कि वादी अपनी क्रय शुद्वा व कब्जा शुद्वा भूमि का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में तत्कालिन पटवारी हल्का दुडिया से मौका रिपोर्ट ली गई थी, जिसके अनुसार मौके पर वादी भगवानाराम 0.24 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 ग्राम टोडी के अनुसार प्रतिवादी सख्या 9 राजेन्द्र सिंह पुत्र सायर सिंह जाति राजपूत के नाम से 0.27 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है, परन्तु मौके पर राजेन्द्र सिंह के कब्जे में कोई भूमि नहीं होना साबित है। जिससे स्पष्ट है कि वादी भगवानाराम के कब्जा काश्त व हिस्से की भूमि 0.24 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 9 के खाते में सहबन से दर्ज हो गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

इस न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर इसके विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही दिनांक 12.10.2011 को निरस्त करवाने के लिए कोई कार्यवाही नही की गई ऐसी स्थिति में तामील का बिन्दु अपीलांट अपील के स्तर पर नही उठा सकता है वर वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी की संवत 2075–78 की खसरा नम्बर 613 की जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है। जिस पर कम संख्या 10 पर भगवाना पुत्र नाथुराम वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलांट ने अपील के स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रकरण में उल्लेखित विकय पत्र को मिथ्या साबित किया हो अथवा विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी विधि सम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर